10 / B

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी हरिराम कांडिया आर.ए.एस.
वाद सं. 230/07

1. रकिशन] पिस. दूल्हा
2 सुखराम (फौत)]
2/1 सम्मबी बेवा सुखराम
2/2 हाकिम सिंह] पिस. सुखराम
2/3 मोरध्वज]
2/4 पुष्पेन्द्र सिंह]
3. गैनी पुत्र कसरा (फौत)
3/1 संजय] पिस. शोभाराम पुत्र गैनी
3/2 चन्द्रपाल]
3/3 अनारी बेवा शोभाराम पुत्र गैनी
3/4 नूरा] पिस. गैनी
3/5 सुखबीर]
4 रघुनाथ पुत्र भगवत

] जाति जाट निवासी ग्राम बरखेड़ा फौजदार तहसील नगर जिला भरतपुर

— — वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार तह. नगर

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 R.T. Act

उपस्थित
1. श्री गजेन्द्र सिंह अभिभाषक वादी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.4.14

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:02 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] का तिस्थित, वादीगण [illegible] $\frac{[illegible]}{0.14}$, $\frac{491}{0.13}$, किया है कि वि. आ. [illegible] $\frac{[illegible]}{0.25}$ [illegible] $\frac{[illegible]}{0.24}$ [illegible], $\frac{494}{0.18}$, $\frac{266}{0.36}$, $\frac{283}{0.09}$, $\frac{284}{0.08}$, $\frac{296}{0.24}$, $\frac{30[illegible]}{0.5[illegible]}$, $\frac{325}{0.38}$, $\frac{492}{0.18}$, [illegible] 403, 367, 368, 11[illegible] बरखेड़ा फौजदार क्रमशः खातेवार ख.नं. 345, 369, 366, 112 मिन, 111 मिन, 315, 376, 356 मिन, 356 मिन, खचेरा लावल्द जिला अवतार फौत 111 मिन से बनाये गये है। खचेरा लावल्द के वारिस वादी दूल्हा है तथा दूल्हा के वारिस [illegible] है जिसका वारिस

— 2

Scanned by CamScanner

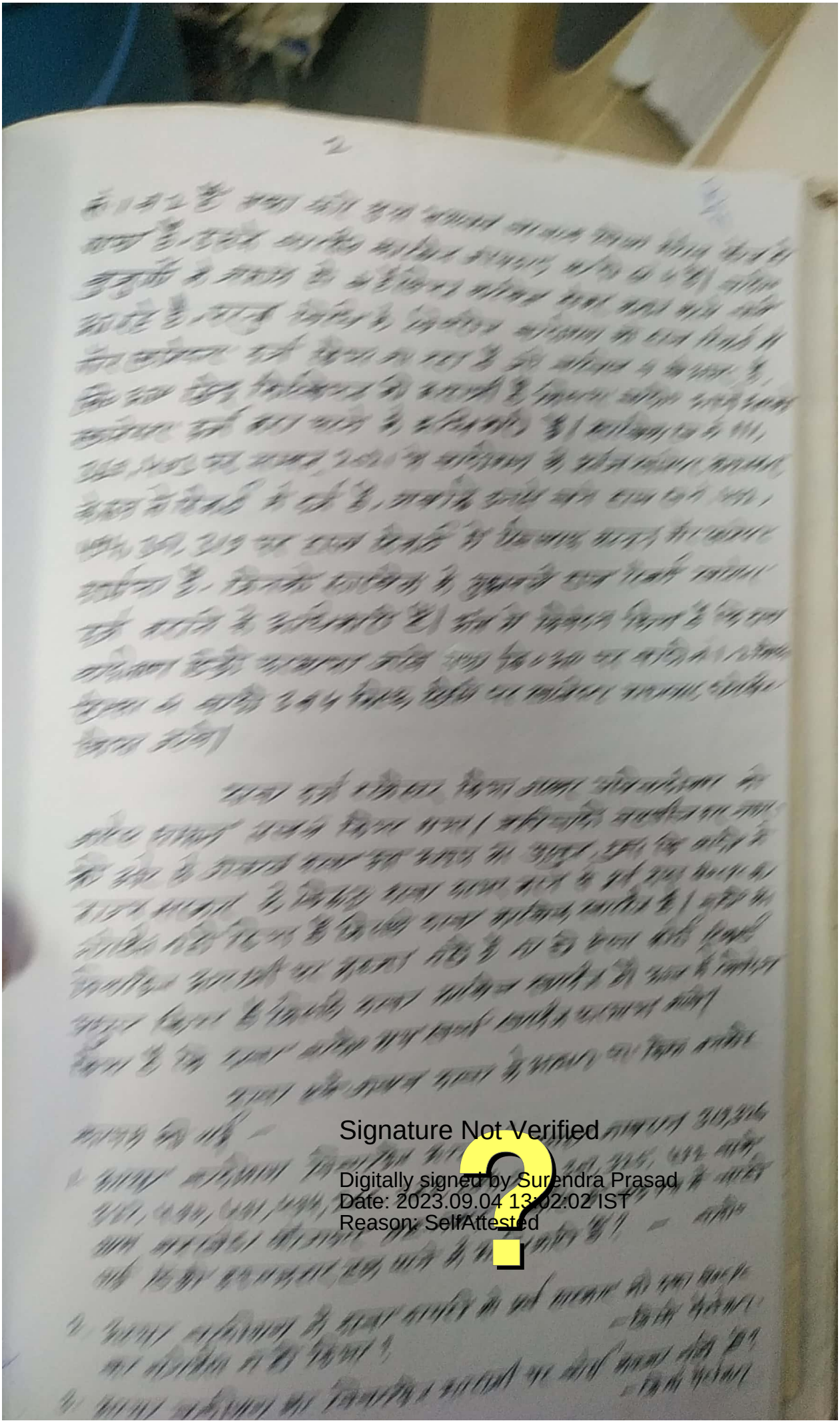

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

[illegible] ने इस मामले के सम्बन्ध में [illegible] 2060-63 ईस्वी, नकल जमाबन्दी की 1391 [illegible] (3), नकल जमाबंदी सं 2021 (2), नकल जमाबन्दी [illegible] 1003 [illegible] (1) की [illegible] नकल खतियान [illegible] प्रस्तुत किये हैं [illegible] 1612 [illegible] प्रस्तुत किये हैं।

हमने उक्त [illegible] की जांच [illegible] दोनों पक्षों [illegible] एवं प्रस्तुत [illegible] का [illegible] अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं 2060-62 ईस्वी में [illegible] 2 पर [illegible] 319, 326, 327, 490, 491, 494, 266, 283, 284, 296, 307, 325, 492 कुल 13 रकबा 3.02 हेक्टेयर को [illegible] – " [illegible] 1/2 [illegible] 1/2 [illegible] " [illegible] आदेश [illegible] 231 – " [illegible] 1/2 [illegible] [illegible] अनुसार हाल नम्बरान को [illegible] से बनाया गया है।

[illegible] अनुसार सर्वे के नम्बरान से

हाल खे०नं०	साबिक ख०नं०		हाल ख०नं०	साबिक ख०नं०
319 / 0.24	403		283 / 0.09	356 कि०
326 / 0.23	367		284 / 0.48	356 कि० "
327 / 0.25	368		296 / 0.24	345
490 / 1.14	112 कि०		307 / 0.50	369
491 / 0.13	112 कि०		325 / 0.38	366
494 / 0.48	111 कि०		492 / [illegible]	111 कि०
266 / 0.36	366 कि०			

उपरोक्तानुसार [illegible] साबिक ख० नम्बरान 403, 367, 368, 112, 111, 366, 356, 345, 369 से बनाया जाना [illegible]

— 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

B/13

होता है नकल जमाबन्दी सं. 2003 EXP4 से EXP4(2), EXP4(3) के अवलोकन से साबित होता है कि उपरोक्त साबिक ख. नम्बरान की बाबत नाम मालिक के खाने में मनफूल तथा नाम काश्तकार के खाने में – "खुदकाश्त 1 हि॰ व साजी भगवत वल्द गोविन्द 1 हि॰ नन्दलाल वल्द मनखां-1 हिस्सा पूरा करन सिंह वल्द नारायन 1 हि॰ वल्द ग्यासी 2 हि॰ कौम फौजदार सा॰ देह गैर मौरूसी" दर्ज रिकार्ड है, जिससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर सं. 2003 से ही वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा है इस प्रकार वादीगण देरीना कब्जे के आधार पर अपने आपको खातेदार घोषित कराने के अधिकारी है तथा दावा वादीगण डिक्री पाने जाता है अतः आदेश है कि —

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है — आ॰ ख.नं. 319/0.24, 326/0.23, 327/0.25, 490/0.14, 491/0.13, 494/0.18, 266/0.36, 283/0.09, 284/0.08, 296/0.26, 307/0.50, 325/0.38, 492/0.18 वाके ग्राम बरखेड़ा फौजदार तह.नगर पर वादीगण को राजस्व रिकार्ड के दर्ज हिस्सा अनुसार गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाता है। वि॰ प॰ तहसीलदार नगर ने अपने जवाब एवं बहस के दौरान वि॰ भू॰ के कस्टोडियन भूमि होने व नहीं होने बाबत कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है, इसलिए खातेदारी का अंकन करने से पूर्व भूमि के कस्टोडियन नहीं होने बाबत जांच करने के बाद ही अमल किया जावे, तथा बाद उक्त जांच के वादीपत्र की जांच कर विरासत दर्ज की जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो

(हरीराम अभिषेक)

[illegible] 10.4.24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में [illegible] निर्णय [illegible]

(हरीराम अभिषेक)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज॰

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

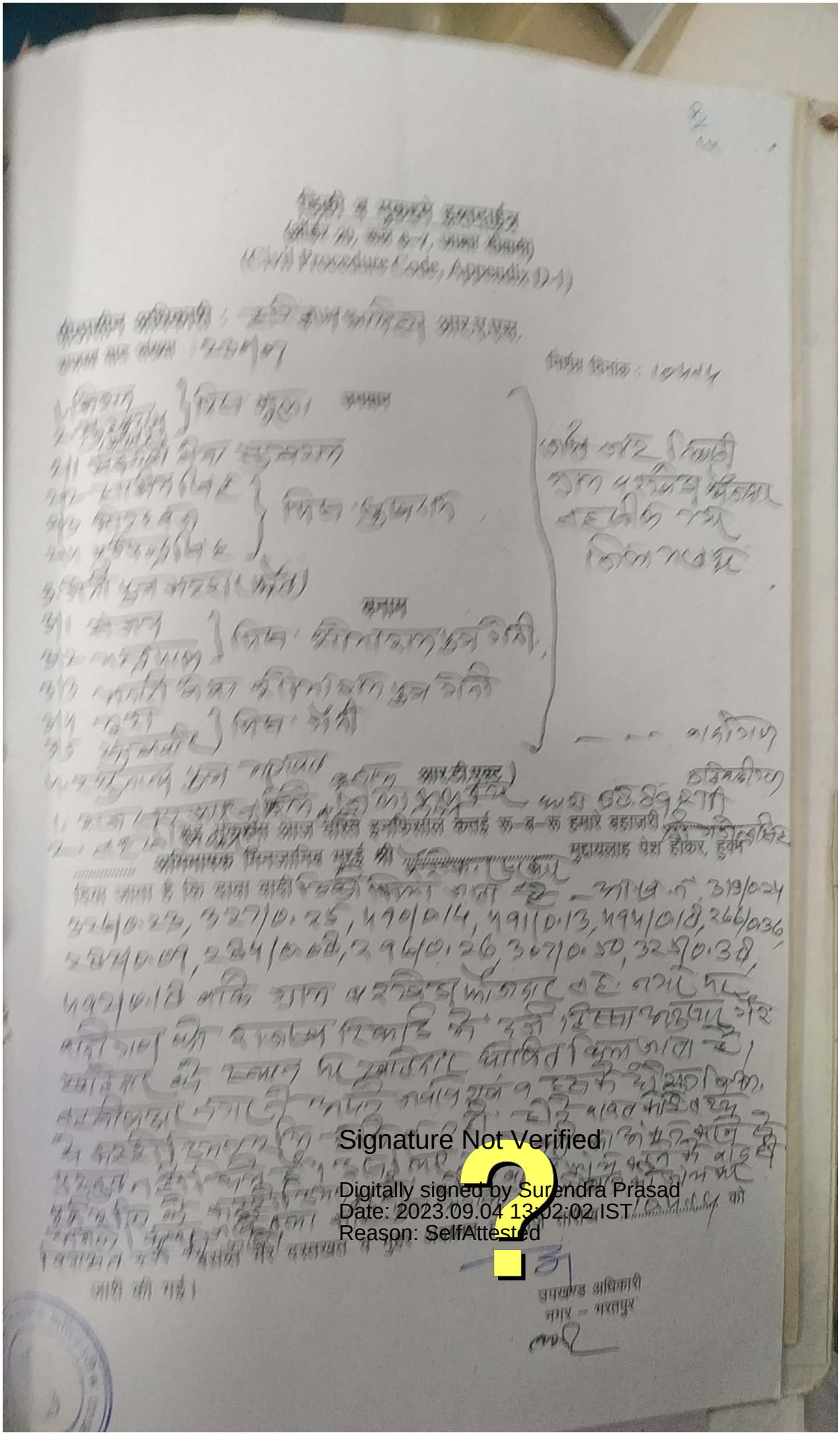

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner